

कार्यालय पाम पंचायता-

भात बापुरुद्धरा

गोकारा स्वरूप सादात

जनपद-

गाजीपुर

पा.पम.

दिनांक १६-०६-२३

विषय:- जल जीवन मिशन (दूर घर प्राप्त) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मान्यता

अवगत कराना ५ फि दिनांक १६-०६-२३ को प्रातः 10:00 बज से पंचायत भवन पारिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक न ग्राम पंचायत के सभी बार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक / जूहाईस्कूल के प्रबन्धाधार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाही कार्यकर्त्री / सशाधिका, कोटेदार १०एम०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत राचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पथरीय योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों सं परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्वाचित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के पुरुषों द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमत है।

अल: अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट वरं।

संलग्नक: परिवारों द्वारा अस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नियमित
विठ्ठल सादात, गाजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

मवदारी

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत-सिखनापार
विठ्ठल सादात-गाजीपुर
ग्राम प्रधान

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमत' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 16-06-23

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 18/7/23

वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: ग्राम नाम:

ग्राम पंचायत का नाम: ग्राम पंचायत

ब्लॉक का नाम: ब्लॉक

जिला का नाम: जिला

राज्य का नाम: राज्य

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुड़ी को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता • वास..... एस.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक यामीण परिवारों की उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के सोश, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदते जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठ पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिमणित हिस्से का मुगलान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत 2-92-201

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: अमृता चांद

लिंग: महिला

आयु:

लागू (जूलाई) 2024
ग्राम पंचायत-नियंत्रित आपार
(नो. 20) शहदन-पानीपुर

P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Panasi(U.P.)



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमत' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: 16-06-23
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 18/7/23
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:
2. ग्राम का नाम: आद्यमेंट ग्राम
ग्राम पंचायत का नाम: आद्यमेंट पंचायत
ब्लॉक का नाम: मुमुक्षु ब्लॉक
ज़िला का नाम: मुमुक्षु ज़िला
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश
ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकृष्टा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे नियंत्रित गुणवत्ता • वास..... एस.पी.सी.डी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के सोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदसे जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठ पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिमिति हिस्से का मुगलान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
4. कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कर्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): आद्यमेंट ग्राम 2-92-201
समिति को क्या कहा जाता है:
- अध्यक्ष का नाम: आद्यमेंट ग्राम
लिंग: पुरुष
आयु:

पृष्ठ 1 (पृष्ठ 1)
ग्राम परिवर्तन समिति, आपार
(नो. 20) शहदन-नाजीपुर

P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Banasi(U.P)

III. सामाजिक विवरण

6.

प्रायोगिक वर्ग	उपवर्ग
उपर्युक्त	उपर्युक्त

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यस्थी संछया (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि पत्तसत पैटर्न: _____

प्रायोगिक वर्ग	उपवर्ग	उपर्युक्त
उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त

10. औसत जिला वर्षा (मि.भी. में): 162 मि. 125 मि.11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानविचरण किया गया है? (हाँ/नहीं)

(“याम कार्य योजना” के साथ मानविच संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविचरण किया गया है? (हाँ/नहीं)

(“याम कार्य योजना” के साथ मानविच संलग्न करें)

14.

प्रायोगिक वर्ग	उपवर्ग	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त
उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त	उपर्युक्त

2. भौगोलिक परिस्थिति

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 12.10 के.एल.डी.

मध्यसियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 62.9 के.एल.डी.

महेशी कंडे की आवश्यक संख्या: 2

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 60.5 के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 72.11 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. बाँध में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त सूखा/अकर्क/धक्कवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैदान, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: 100

17. आपातकालीन घटनाकारी का कोई इतिवृत्त नहीं टैकिया, रेत गाड़ियां आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आधिक कार्य, स्रोत या जलबूत करने का इतिवृत्त नहीं

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मौत्रिया, दैला, घट्ट, लिमानी झुआर

पानी की गुणवत्ता

20. फिल्टर परीक्षण किट / वायर का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की छोकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सेनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति बोर्ड में इस्तेमाल किए जाने वाले नौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (खोतो) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

कपड़े धोने / स्तरान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्तरान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामते में, क्या बारबेस रिचार्ज संरचना है? (है/नहीं)

25. गाँव में उन गौजूदा जल भट्टारों की सूची जिनका बनाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 52.10 घे.एस.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 10

उन परिवारों की संख्या जिन्हे सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 12

आवश्यक समुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 02

क्या अपर्शिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (है/नहीं): है

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: ल्लाली नदी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के क्षेत्र से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छेर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण ही चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्ट्रिपिंग बाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- सोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- बाटर बिड़ालीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- जिन्हीं सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियां में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल-स्रोत: नदी/झील तथा जीवनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: 50 हेक्टेक्टर

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित मूल्य: 300 करोड़ रुपये

वह तारीख, जिस पर यह मूल्य पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को संप्रीत की जाएगी: 2024

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

वार्षिक प्रयालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मालिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसर्य बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन सम्बावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव मैंजे जाने हैं।)

29.



प्रान्तिक संचार विभाग संसदीय कार्यालय (उत्तर उच्चालय अधिकारी)	जल संरक्षण विभाग	संवर्धन आवधारणा का महत्व की जांच करना। वाटरशेड प्रबन्धन/आरक्षण्यपूर्वक/ कृषि पुनर्जीवन, जल नियन्त्रण का निर्माण। बड़े आदि।	
जल अंडररोड की मरम्मत, संवीकारण और जीणांदार	जल संरक्षण, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल अंडररोड का जीणांदार	
वाटरशेड विभाग विभाग (जल का दो दोहरे)	वाटरशेड विभाग और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सहम-सिंचाह का प्रावधान, एकत्रीकरण से जल की नियन्त्रण को कम करने के लिए	
कृषिपूरक विभाग कृषि प्रबन्धन और आग्नीजनन प्रणालीकरण	प्रबन्धन, उन और जलवायन विभागों संबंधी	कृषिपूरक उन वार्षिकीयों का प्रावधान, वाटरशेड विभाग, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.बड़े)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.उच्चालय पी.एस. योजनाओं के लिए अग्रवाल क मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समाज विषय	जनजात संसाधन विभाग मंत्रालय	समूली ज.प्रबन्धन आपूर्ति कर जानाइज	
भारतीय जिला कार्यालय	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन नियियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
विभागीय विभाग नियित (टी.एस.एस.)	विभाग	बड़े विभाग या जल संबंधी गतिविधियाँ	
एम.पी.एस.ए.डी.	संषिकणी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमउओएसपीआई)	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
एम.एस.ए.ए.डी.	विभाग	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानकर्ताओं की उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना	
दूसरी संसाधनों का			

अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रो.एच.एस./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आडिशनल प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लगभग हो)

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबरः

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबरः

पानी की गुणवत्ता की दीक्षित सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबरः

1. *मुख्यमन्त्री* = ७४६०३९१५४५
2. *प्रबोध छाती* = ६३४६५१५३३७
3. *मुमुक्षु* = ६३०६००६४५७
4. *मुकुरा* = २५०६४०२३९४
5. *दीर्घियली* = १५१४४५६३८८

संपर्क विवरण का नाम और फोन नंबर

मुख्यमन्त्री
ग्राम पंचायत-विभाग
ठिठू राजू खादत-गांजीपुर

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)